

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.सं.)अवकाश / 118 /2021 दिनांक 14.01.2021

श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को दिनांक 21.11.2020 से 04.12.2020 तक 14 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्री गहलोत, की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
14.1.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/177/2015/391

दिनांक : 14.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 4656 दिनांक 08.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री मुकुल गहलोत (RJ0948), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर।

सहायक रजिस्ट्रार